

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, झुझुनु

पीठासीन अधिकारी :-

जगदीश प्रसाद गौड़  
आर.ए.एस.

अपील संख्या :- 108/2021

सुरेश पुत्र दयानन्द, जाति जाट निवासी मुरादपुर उप तहसील सिंघाना तहसील बुहाना, जिला झुझुनु।

-अपीलार्थी

-बनाम-

राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सिंघाना, तहसीलदार बुहाना, जिला झुझुनु।  
- रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय उप तहसीलदार सिंघाना  
उनवानी सरकार बनाम दयानन्द वगैरह अंधारा 91 एल0आर0एक्ट 1956  
मु0न0 33/2021 निर्णय दिनांक 22.7.2021


उपस्थिति:-

1. श्री सुभाष चन्द पूनियां , एडवोकेट ----- अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, एडवोकेट----- रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

-निर्णय-

दिनांक 06.07.2022

उक्त अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 22.7.2022 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम दयानन्द वगैरह मु0नं0 33/2021 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय उप तहसीलदार सिंघाना के विरुद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि-पटवारी हल्का मुरादपुर ने नायब तहसीलदार सिंघाना को इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि ग्राम मुरादापुर की राजकीय भूमि गै.मु0 स्कूल खसरा नंबर 962/565 कुल रकबा 2.50 हैक्टेयर में से 0.25 हैक्टेयर भूमि पर अपीलांट ने चारदिवारी व पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। जिस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलांट को धारा 91 एल0आर0एक्ट का नोटिस दिया गया। अपीलांट की ओर से दिनांक 14.6.2021 को जवाब नोटिस व दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। प्रकरण में एकतरफा सुनवाई की जाकर दिनांक 22.7.2021 को अपीलांट के विरुद्ध बेदखली का आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौका जांच किये व प्रार्थी को साक्ष्य सबूत पेश करने एवं सुनवाई का बिना अवसर दिये ही बेदखली का आदेश पारित किया है। अदालत मातहत ने अपीलांट को निर्णय के अनुसार गैर मु. स्कूल की

  
 अति. जिला कलेक्टर  
 झुझुनु

नंबर 962 में से बेदखल करने का आदेश पारित किया है, इस संबंध में स्कूल के किसी भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी द्वारा न तो कोई अतिक्रमण की शिकायत की गई थी न ही शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी व कर्मचारी के बयान दर्ज किये गये हैं। स्कूल को जो भूमि आवंटित की गई है, उसके संबंध में किसी भी अतिक्रमण के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही स्कूल ही कर सकती है, तहसीलदार पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अंधरा 91 की कार्यवाही करने में सक्षम नहीं है। इस कारण आलोच्य आदेश दिनांक 22.7.2021 विधि विरुद्ध होने से निरस्त होने योग्य है।

अपीलांट का कथन है कि जमीन जेर बहस खसरा नंबर 962/565 की भूमि का आवंटन सन् 1998 में स्कूल को किया जाना प्रकट हुआ है, परन्तु पूर्वजों के समय से ही अपीलांट वहां पर रिहायश बनाकर आबाद है। अपीलांट के पूर्वज टिनेन्सी एक्ट 1955 के लागू होने से पूर्व ही मकान बनाकर रिहायश करते हैं, इस संबंध में सन 1997 में ही खेतड़ी तहसीलदार द्वारा अपीलांट के कब्जे के सम्बन्ध में पेलेन्टी की रसीद काटी हुई है जिसका विवरण पुस्तक संख्या 10976 रसीद नंबर 5078 जमा रसीद 69/-रूपये पेनेन्टी के जमा करवाये थे। इस पर भी गौर नहीं कर आलोच्य आदेश पारित किया है। अपीलांट को जिस जमीन से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है, उस जगह कोई स्कूल संचालित नहीं हो रही है न ही कोई भवन बना हुआ है न ही कोई चारदिवारी बनी हुई है न ही सीमाज्ञान के चिन्ह लगे हुये हैं। मुरादपुर में स्कूल के लिए खसरा नंबर 324 भूमि आवंटित है वहां पर ही 10 वी तक का स्कूल चल रहा है। आवंटन आदेश में भूमि का कोई स्पेशिक स्थान वर्णित नहीं होता है और रेवेन्यू अधिकारी कर्मचारी मौके पर जाकर आवंटन भूमि के चिन्ह कायम कर उक्त भूमि को नक्शे में दर्शित करते हैं, दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित है कि अपीलांट का स्कूल की भूमि के आवंटन से पूर्व ही जमीन जेर बहस पर कब्जा था। बसासत के रूप में काम में ले रहे थे इस कारण अपीलांट को नुकसान पहुंचाने की नियत से गलत तरमिम व नक्शे तैयार किये गये । गांव के राजनैतिक दबाव में झूठी तरमिम की गई। अपीलांट को जिस भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है उस भूमि की बाबत सन् 2008 में बुहाना तहसील से भी कब्जा होने की रसीदे काटी गई थी। अपीलांट ने जिस जगह रिहायश बना रखी है वहां पर राजस्थान सरकार द्वारा सार्वजनिक ट्यूबवेल भी बना रखा है। पानी की टंकी भी राजस्थान सरकार द्वारा बना रखी है। अपीलांट का पानी व बिजली का कनेक्शन भी बहुत पुराने हैं इस तथ्य पर भी अपीलांट ने गौर नहीं कर गलती कानूनी की है। अतः अपील

5.7  
अति. जिला कलेक्टर  
झुझुनू

अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश योग्य अदालत मातहत उप तहसीलदार सिंघाना के आदेश दिनांक 22.7.2021 को निरस्त फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:- पटवारी हल्का मुरादपुर ने नायब तहसीलदार सिंघाना को इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि ग्राम मुरादापुर की राजकीय भूमि गै.मु0 स्कूल खसरा नंबर 962/565 कुल रकबा 2.50 हैक्टेयर में से 0.25 हैक्टेयर भूमि पर अपीलांट ने चारदिवारी व पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। जिस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलांट को धारा 91 एल0आर0एक्ट का नोटिस दिया गया। अपीलांट की ओर से दिनांक 14.6.2021 को जवाब नोटिस व दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। प्रकरण में एकतरफा सुनवाई की जाकर दिनांक 22.7.2021 को अपीलांट के विरुद्ध बेदखली का आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौका जांच किये व प्रार्थी को साक्ष्य सबूत पेश करने एवं सुनवाई का बिना अवसर दिये ही बेदखली का आदेश पारित किया है। अदालत मातहत ने अपीलांट को निर्णय के अनुसार गैर मु. स्कूल की भूमि खसरा नंबर 962 में से बेदखल करने का आदेश पारित किया है, इस संबंध में स्कूल के किसी भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी द्वारा न तो कोई अतिक्रमण की शिकायत की गई थी न ही शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी व कर्मचारी के बयान दर्ज किये गये हैं। स्कूल को जो भूमि आवंटित की गई है, उसके संबंध में किसी भी अतिक्रमण के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही स्कूल ही कर सकती है, तहसीलदार पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अं0धरा 91 की कार्यवाही करने में सक्षम नहीं है। इस कारण आलोच्य आदेश दिनांक 22.7.2021 विधि विरुद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। जमीन जेर बहस खसरा नंबर 962/565 की भूमि का आवंटन सन् 1998 में स्कूल को किया जाना प्रकट हुआ है, परन्तु पूर्वजों के समय से ही अपीलांट वहां पर रिहायश बनाकर आबाद है। अपीलांट के पूर्वज टिनेन्सी एक्ट 1955 के लागू होने से पूर्व ही मकान बनाकर रिहायश करते हैं, इस संबंध में सन 1997 में ही खेतड़ी तहसीलदार द्वारा अपीलांट के कब्जे के सम्बन्ध में पेलेन्टी की रसीद काटी हुई है जिसका विवरण पुस्तक संख्या 10976 रसीद नंबर 5078 जमा रसीद 69/-रूपये पेनेन्टी के जमा करवाये थे। इस पर भी गौर नहीं कर आलोच्य आदेश पारित किया है। अपीलांट को जिस जमीन से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है, उस जगह कोई

जा.१  
अति. जिला कलेक्टर  
झुझुनू

स्कूल संचालित नहीं हो रही है न ही कोई भवन बना हुआ है न ही कोई चारदिवारी बनी हुई है न ही सीमाज्ञान के चिन्ह लगे हुये हैं। मुरादपुर में स्कूल के लिए खसरा नंबर 324 भूमि आवंटित है वहां पर ही 10वीं तक का स्कूल चल रहा है। आवंटन आदेश में भूमि का कोई स्पेशिक स्थान वर्णित नहीं होता है और रेवेन्यू अधिकारी कर्मचारी मौके पर जाकर आवंटन भूमि के चिन्ह कायम कर उक्त भूमि को नक्शे में दर्शित करते हैं, दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित है कि अपीलांट का स्कूल की भूमि के आवंटन से पूर्व ही जमीन जेर बहस पर कब्जा था। बसासत के रूप में काम में ले रहे थे इस कारण अपीलांट को नुकसान पहुंचाने की नियत से गलत तरमिम व नक्शे तैयार किये गये । गांव के राजनैतिक दबाव में झूठी तरमिम की गई। अपीलांट को जिस भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है उस भूमि की बाबत सन् 2008 में बुहाना तहसील से भी कब्जा होने की रसीदे काटी गई थी। अपीलांट ने जिस जगह रिहायश बना रखी है वहां पर राजस्थान सरकार द्वारा सार्वजनिक ट्यूबवेल भी बना रखा है। पानी की टंकी भी राजस्थान सरकार द्वारा बना रखी है। अपीलांट का पानी व बिजली का कनेक्शन भी बहुत पुराने हैं इस तथ्य पर भी अपीलांट ने गौर नहीं कर गलती कानूनी की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश योग्य अदालत मातहत उप तहसीलदार सिंघाना के आदेश दिनांक 22.7.2021 को निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि गै0 मु0 स्कूल खसरा खसरा नंबर 962/565 कुल रकबा 2.50 हैक्टर में से 0.15 हैक्टर भूमि पर अपीलांट्स ने चारदिवारी व पक्का मकान बना कर अतिक्रमण किया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिंघाना द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर निर्णय पारित किया गया है । पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि विवादित जमीन पर वह अपने पूर्वजों के समय से काबिज हैं, उनके द्वारा स्कूल की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया है। स्कूल के किसी भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी द्वारा न तो कोई अतिक्रमण की शिकायत की गई थी न ही शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी व कर्मचारी के बयान दर्ज किये गये हैं। स्कूल को जो भूमि आवंटित की गई है, उसके संबंध में किसी भी अतिक्रमण के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही स्कूल ही कर सकती है, तहसीलदार पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अंधरा 91

5.1.1  
अति. जिला कलेक्टर  
झुझुनू

की कार्यवाही करने में सक्षम नहीं है। जमीन जेर बहस खसरा नंबर 962/565 की भूमि का आवंटन सन् 1998 में स्कूल को किया जाना प्रकट हुआ है, परन्तु पूर्वजों के समय से ही अपीलांट वहां पर रिहायश बनाकर आबाद है। अपीलांट के पूर्वज टिनेन्सी एक्ट 1955 के लागू होने से पूर्व ही मकान बनाकर रिहायश करते हैं, इस संबंध में सन 1997 में ही खेतड़ी तहसीलदार द्वारा अपीलांट के कब्जे के सम्बन्ध में पेलेन्टी की रसीद काटी हुई है जिसका विवरण पुस्तक संख्या 10976 रसीद नंबर 5078 जमा रसीद 69/-रूपये पेनेल्टी के जमा करवाये थे। अपीलांट को जिस जमीन से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है, उस जगह कोई स्कूल संचालित नहीं हो रही है न ही कोई भवन बना हुआ है न ही कोई चारदिवारी बनी हुई है न ही सीमाज्ञान के चिन्ह लगे हुये हैं। मुरादपुर में स्कूल के लिए खसरा नंबर 324 भूमि आवंटित है वहां पर ही 10 वीं तक का स्कूल चल रहा है। आवंटन आदेश में भूमि का कोई स्पेशिपिक स्थान वर्णित नहीं होता है और रेवेन्यू अधिकारी कर्मचारी मौके पर जाकर आवंटन भूमि के चिन्ह कायम कर उक्त भूमि को नक्शे में दर्शित करते हैं, दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित है कि अपीलांट का स्कूल की भूमि के आवंटन से पूर्व ही जमीन जेर बहस पर कब्जा था, आदि।

मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना की पत्रावली एवं पारित निर्णय का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि खसरा नंबर 962/565 कुल रकबा 2.50 हैक्टर राजकीय भूमि गैर मु0 स्कूल के नाम दर्ज रिकार्ड है। हल्का पटवारी मुरादपुर की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट्स ने उक्त स्कूल की भूमि में से 0.15 हैक्टर भूमिपर अतिक्रमण करना बताया है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर होता है कि स्कूल की ओर से कोई शिकायत प्रस्तुत नहीं हुई है, ना ही स्कूल को पक्षकार बनाया गया है और ना ही नायब तहसीलदार सिंघाना द्वारा स्वयं मौका देखा गया है, ना ही स्कूल भूमि के सीमाज्ञान किये जाने की रिपोर्ट पत्रावली पर है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बुहाना ने अपीलांट्स के पुराने कब्जे एवं उनके द्वारा पुराने कब्जे के संबंध में प्रस्तुत पेनेल्टी रसीद आदि के संबंध में अपने निर्णय में कोई फाईडिंग नहीं दी है। विवादित भूमि स्कूल की भूमि है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक

21-1  
अति. जिला कलेक्टर  
झुझुनू

22.07.2021 उनवानी सरकार बनाम दयानन्द वगैरा मु0नं0 33/2021 निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार बुहाना को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि विवादित भूमि के प्रकरण में स्कूल को पक्षकार बनाते हुए, स्कूल को भूमि आवंटन से संबंधित सभी दस्तावेजों को रेकॉर्ड पर लेकर, स्वयं मौका निरीक्षण कर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड मय नक्शा का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर भूमि का सीमाज्ञान करवाकर अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की पूर्ण विवेचना के साथ पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फ़ैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।



(जगदीश प्रसाद गौड़)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,  
झुझुनू

निर्णय आज दिनांक 06.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनीया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,  
झुझुनू